

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ़ छ.ग.

कलेक्टोरेट परिसर पोस्ट चक्रधर नगर रायगढ़, छत्तीसगढ़-496001

फोन/फैक्स 07762-220310 Email-raigarhminingoffice@gmail.com

क्रमांक/0/0 /ख.लि.-1/2019

रायगढ़ दिनांक 08/06/2019

प्रति,

मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
गारे पेलमा कोल ब्लॉक IV/4 ग्राम बांजीखोल,
पो.आ. मिलूपारा, तहसील तमनार
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को जिला रायगढ़ तहसील तमनार अंतर्गत गारे पेलमा कोल ब्लॉक IV/4 में स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र से बाहर सतही अधिकार प्राप्त भूमि पर केप्टिव सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना बाबत।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र क्रमांक HIL/GP Mines /Land/2018/342 Dated 28.07.2018 एवं पत्र 16.09.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आवेदन पत्र दिनांक 28.07.2018 एवं दिनांक 16.09.2018 का कृपया अवलोकन करें। मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को गारे पेलमा IV/4 कोल ब्लॉक में स्वीकृत कोयला खनिपट्टा क्षेत्र के ग्राम बांजीखोल में खनिपट्टा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर सतही अधिकार प्राप्त निम्नांकित भूमि में केप्टिव सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना के संबंध में आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

S.No.	Khasra No.	Area of the plot (in Hectare)	Area proposed for Captive Solar Power Plant (in Hectare)	Status of land
1	212	2.160	0.130	Under surface right
2	213	0.840	0.840	Free hold land
3	214	7.780	6.576	Under surface right
4	215	0.420	0.420	Free hold land
5	216	0.680	0.680	Under surface right
6	217	0.420	0.420	Under surface right
7	218	0.490	0.490	Under surface right
Total	7	12.790	9.556	


उपरोक्त विषयांकित संदर्भित आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2018 के परिपेक्ष्य में कार्यपालन अभियंता, छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायगढ़ का पत्र क्रमांक 260/ख.लि.-1/2019 रायगढ़ दिनांक 08.02.2019 द्वारा नियमतः टीप/अभिमत प्रेषित करने हेतु लेख किया गया था। कार्यपालन अभियंता, छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायगढ़ के द्वारा अपने पत्र क्र. 5286/CREDA/ख.लि.-1/2019 रायगढ़ दिनांक 25.02.2019 द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण हेतु क्रेडा प्रधान कार्यालय रायपुर में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने लेख किया गया था।

आपके कॉर्पोरेट ऑफिस मुम्बई के पत्र क्रमांक ABRSL/CG/FY19/2 दिनांक 10.04.2019 के संदर्भ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1197/CREDA/Mega/2019-20 दिनांक 01.05.2019 द्वारा मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को जिला रायगढ़ तहसील तमनार अन्तर्गत स्वीकृत कोयला खदान के लिये 4.2 मेगावाट पॉवर केपासिटी का सोलर फोटोओल्टिक पॉवर प्रोजेक्टर की स्थापना के संबंध में अनापत्ति दिनांक 31.07.2019 के लिये सशर्त प्रदान किया गया है, शर्तों का विवरण निम्नानुसार है :-

01. Your company will obtain all other clearances/permissions, wherever necessary from State as well as central Government as per rule.
02. As per your undertaking power produced from above proposed SPV power plant shall be for captive use only.
03. If the Ownership of Solar power Plant and Location changes prior to the installation of Proposed 4.2 Wp then this N.O.C. Shall be treated as cancelled.

04. The Chhattisgarh state power Distribution company limited will have no. obligation/binding to purchase the power generated by your company.
05. Your company shall keep CREDA informed about the progress made on project on monthly bases positively.

(कलेक्टर महो. द्वारा आदेशित)


उप संचालक (खनि. प्रशा.)
वास्ते कलेक्टर रायगढ़ छ.ग.

पू. क्रमांक / ख.लि.-1/2018,

रायगढ़ दिनांक / /2018

प्रतिलिपि :-

1. कार्यपालन अभियंता, छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर का पत्र क्रमांक 1197/CREDA /Mega/2019-20 दिनांक 01.05.2019 के संदर्भ में,
2. कार्यपालन अभियंता, छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायगढ़ का पत्र क्रमांक 5286/CREDA/ ख.लि.-1/2019 रायगढ़ दिनांक 25.02.2019 के संदर्भ में,
3. प्रबंध निदेशक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सी.एस.पी.डी.सी.एल.) रायपुर (छ.ग.),
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
5. तहसीलदार, तहसील तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
6. खनि निरीक्षक, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप संचालक (खनि. प्रशा.)
वास्ते कलेक्टर रायगढ़ छ.ग.